# न्यायालय जिला क़लेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 81 / 2023

आई0आई0एफ0एल0 होम फाईनेन्स लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड नं. 16 वीं, प्लॉट नं0 बी–23, थाणे इन्डस्ट्रीयल एरिया वागले एस्टेट, थाणे– 400604 मुम्बई, महाराष्ट्र एवं क्षेत्रीय कार्यालयः 4 जी फलोर, विनायक हाईटस, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर राज0 302021 जरिये प्रधिकृत अधिकारी श्री राजेन्द्र पाराशर।

...प्रार्थी कंपनी / सिक्योर केडिटर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. श्री महाराज सिंह गुर्जर पुत्र श्री इन्द्र सिंह निवासी राजाहेडा नियर बाय शिव मंदिर दौसा राजस्थान पिन कोड– 303315 अन्य पता खसरा नंबर 418, ग्राम राजाहेडा नीयर बाय शिव मंदिर दौसा राजस्थान पिन कोड–303315

(ऋणी)

2. श्रीमती धापा देवी पत्नि श्री महाराज सिंह गुर्जर निवासी खसरा नंबर 418, राजाहेडा नियर बाय शिव मंदिर गुढा आशिकपुरा दौसा राजस्थान पिन कोड– 303315 अन्य पता राजाहेडा नीयर बाय शिव मंदिर दौसा राजस्थान पिन कोड–303315

(सह ऋणी)

3. श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री मूलचंद निवासी खसरा नंबर 418, राजाहेडा नियर बाय शिव मंदिर गुढा आशिकपुरा दौसा राजस्थान पिन कोड– 303315 अन्य पता राजाहेडा नीयर बाय शिव मंदिर दौसा राजस्थान पिन कोड–303315

(सह ऋणी)

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्रीमती सुनैना शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

**आदेश** दिनांकः 23.10.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. होम फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा ऋणी / सह ऋणी को रूपये 5,19,800 / – (रूपये पांच लाख उन्नीस हजार आठ सौ मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी / सह ऋणी को बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड

....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र सं0 89/2023

नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. होम फाईनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आई.आई.एफ.एल.होम फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. होम फाईनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति के समस्त अंश व खंड खसरा नंबर 418 में से 4160 वर्गफीट ग्राम राजाहेडा नियर बाय शिव मंदिर गुढा आशिकपुरा जिला दौसा में स्थित है जो कि श्रीमती धापा देवी गुर्जर के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. होम फाईनेन्स लिमिटेड को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official